

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103000192014

व्यवहार वाद कं.-75ए/16

संस्थापित दिनांक-07.03.2014

1.तोफान सिंह पुत्र जयराम सिंह आयु 50 साल जाति लोधी धंधा खेती निवासी ग्राम मोहरी तहसील चंदेरी वर्तमान में छहघरा कॉलोनी वार्ड क्रमांक 22 अशोकनगर, जिला अशोकनगर म0प्र0।वादी
विरुद्ध
1.दिलीप सिंह पुत्र समरथ सिंह आयु 70 साल जाति लोधी 2.दिमान सिंह पुत्र समरथ सिंह आयु 60 साल जाति लोधी 3.मोहन सिंह पुत्र समरथ सिंह आयु 72 साल जाति लोधी निवासीगण ग्राम मोहरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।प्रतिवादीगण 4.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0। औपचारिक प्रतिवादी
वादी द्वारा श्री पठान अधिवक्ता। प्रतिवादीगण द्वारा श्री गौरव जैन अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 4 पूर्व से एकपक्षीय।

- / / निर्णय / -
(आज दिनांक 09.02.2017 को घोषित)

01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम मनहारी तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 24 रकवा 2.006 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 25 रकवा 1.88 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 28 रकवा 0.679 हेक्टेयर कुल रकवा 2.873 हेक्टेयर के 1/4 भाग (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) के स्वत्व घोषणा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के पिता समरथ के 1/2 भाग तथा वादी के 1/2 भाग के स्वत्व की भूमि थी। वादी के अनुसार समरथ की मृत्यु के बाद उक्त विवादित भूमि के 1/2 भाग का प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 स्वत्वाधिकारी है तथा 1/4 भाग पर वादी का नाम रहना चाहिए था, किंतु ग्राम पटवारी ने वादी का नाम विलोपित कर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 का नाम अंकित कर दिया। वादी के अनुसार वह उक्त विवादित भूमि पर खेती करता रहता है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 वादी के परिवार के व्यक्ति हैं और इस कारण उसे उन पर विश्वास था, किंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने उससे कहा कि वह उक्त विवादित भूमि का मालिक नहीं है और जब उसने विवादित भूमि की खतौनी की नकलें प्राप्त कीं तब उसे जानकारी हुई कि विवादित भूमि पर उसका नाम दर्ज नहीं है। वादी के

अनुसार प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादी का नाम विलोपित करा दिया है तथा उसे विवादित भूमि से बेदखल करने के प्रयास में है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने इस आशय की डिक्री चाही है कि उसे उक्त विवादित भूमि के 1/4 भाग का स्वामी घोषित किया जाए।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी का उक्त विवादित भूमि पर कोई हित नहीं है तथा उनका विवादित भूमि पर पिछले 36 वर्षों से अधिक समय से उनका कब्जा है तथा वादी ने अपने हक का त्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी अशोकनगर निवास कर रहा है तथा उसने पैसे लेकर अपने हिस्से की भूमि उनके नाम करा दी थी। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी ग्राम मन्हारी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 24 रकवा 2.006 हेक्टेयर, भूमि सर्वे क्रमांक 25 रकवा 0.188 हेक्टेयर, भूमि सर्वे क्रमांक 28 रकवा 0.679 हेक्टेयर कुल रकवा 2.873 हेक्टेयर में से 1/4 भाग का स्वत्वाधिकारी है ?	“हां”
02.	क्या वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से का त्यजन प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में किया गया था ?	“नहीं”
03.	क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	“नहीं”
04.	क्या प्रस्तुत वाद कब्जा वापसी की सहायता के अभाव में प्रचलन योग्य है ?	“हां”
05.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 तोफान सिंह, वा.सा. 02 गजराज सिंह, वा.सा. 03 धर्मवीर सेटी की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और साथ ही खसरा प्रपी 01 लगायत प्रपी 03, खतौनी प्रपी 04, नामांतरण पंजी प्रपी 05, खतौनी प्रपी 06, खसरा प्रपी 07 लगायत प्रपी 10 अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 कंछेदी, प्र.सा. 02 कैलाश तथा प्र.सा. 03 दिलीप सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज अभिलेख

पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वर्तित हैं। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 03, 04 एवं 05 का निराकरण पृथक् से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्र. 01 लगायत 02 ::—

08. वा.सा. 01 तोफान सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह मूल रूप से ग्राम मोहरी का निवासी है तथा उसके पिता जयराम सिंह एवं प्रतिवादीगण के पिता समरथ सिंह आपस में सगे भाई थे। उक्त साक्षी के अनुसार वह जयराम सिंह का एकमात्र पुत्र है तथा समरथ सिंह एवं जयराम सिंह का नाम उक्त विवादित भूमि थी। उक्त साक्षी के अनुसार जयराम सिंह की मृत्यु के बाद उक्त विवादित भूमि के 1/4 भाग का वह स्वत्वाधिकारी है और उक्त भूमि पर खेती करता रहता है, किंतु प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि गलत तरीके से अपने नाम करा ली है। वा.सा. 02 गजराज सिंह ने अपने कथन में वा.सा. 01 के अनुसार बातें बताई हैं और इसी प्रकार वा.सा. 03 धर्मवीर ने भी अपने कथन में बातें बताई हैं। वा.सा. 01 में अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि वर्ष 1991 से विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने विवादित भूमि का कभी लगान नहीं दिया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने विवादित भूमि के कब्जा वापसी की प्रार्थना की है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि गजराज सिंह 30 वर्षों से अशोकनगर में रह रहा है तथा धर्मवीर 20 वर्षों से अशोकनगर में रह रहा है। उक्त तथ्य को वा.सा. 02 गजराज ने एवं वा.सा. 03 धर्मवीर ने भी अपने कथनों में स्वीकार किया है। वा.सा. 02 ने इस बात को स्वीकार किया है कि वादी की बुआ सास का लडका है और उसके कहने से बयान देने आया है तथा उसे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। वा.सा. 03 ने इस बात को स्वीकार किया है कि वर्ष 1991 के पश्चात् से उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के नाम हो गई है।

09. प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 03 दिलीप सिंह ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व क भूमि है तथा तोफान सिंह द्वारा उक्त विवादित भूमि में से अपने स्वत्व को वर्ष 1991 में त्याग कर दिया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है और न ही वह खेती कर रहा है तथा वादी ने गलत आधारों पर वाद प्रस्तुत किया है। प्र.सा. 01 एवं प्र.सा. 02 ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण खेती कर रहे हैं तथा वादी का उस पर कोई हित नहीं है। प्र.सा. 02 एवं प्र.सा. 03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि विवादित भूमि शासकीय कागजात में किसके नाम पर है। इसी प्रकार प्र.सा. 02 ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे पता नहीं है कि विवादित भूमि पर पहले किसके नाम था और वर्तमान में किसका नाम है। प्र.सा. 03 ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि में समरथ का 1/4 भाग हिस्सा था तथा बंटवारे में तोफान ने बयान देकर जमीन उसके नाम कर दी थी।

10. उभयपक्ष की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 ने वादी से अच्छे संबंध होने के कारण उसके पक्ष में कथन किए हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षी वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि वर्ष 1991 के पश्चात् से

प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई। प्र.सा. 01 एवं प्र.सा. 02 की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि की संपूर्ण जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्र. सा. 03 ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि में समरथ का 1/4 भाग था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि के अपने भाग को तोफान ने त्याग दिया था, किंतु इस संबंध में तोफान ने रजिस्ट्री नहीं की थी। उक्त तथ्य का प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में भी उल्लेख किया है। वादी की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं उनमें प्रपी 01, प्रपी 02, प्रपी 03 के खसरा, प्रपी 04 की खतौनी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि पर तोफान सिंह का नाम दर्ज रहा है और साथ ही तोफान सिंह के पिता जयराम का नाम भी कब्जेदार के रूप में दर्ज रहा है। प्रपी 04 की खतौनी से भी यही स्थिति स्पष्ट हो रही है। उल्लेखनीय है कि प्रपी 05 की नामांतरण पंजी में भी तोफान सिंह का नाम उक्त विवादित भूमि पर दर्ज हुआ है। यद्यपि प्रपी 06 एवं प्रपी 07 के राजस्व दस्तावेजों में विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में होना दर्शित हो रहा है, किंतु प्रपी 08 लगायत प्रपी 10 के खसरा में उक्त विवादित भूमि पर तोफान सिंह का नाम कब्जेदार के रूप में होना दर्शित हो रहा है।

11. इस प्रकार वादी की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि में वादी का हित है और इसी आधार पर वादी का नाम उक्त विवादित भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेजों में भी दर्ज रहा है, जैसा कि वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से प्रमाणित हो रहा है। यहां पर उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि में वादी का हित निहित है, किंतु प्रतिवादीगण के अनुसार वादी ने अपना हित त्याग दिया था। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादी ने अपने हित का त्याग कब किया था और साथ ही प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादी ने उक्त विवादित भूमि में अपने हित का त्याग किया था। मात्र ये कथन कर देना कि वादी द्वारा अपने हित का त्याग कर दिया गया था, पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार वादी की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वादी का उक्त विवादित भूमि के 1/4 भाग में हित निहित होकर वादी उक्त विवादित भूमि के 1/4 भाग का स्वत्वाधिकारी है, किंतु यह प्रमाणित नहीं होता कि वादी द्वारा अपने हिस्से का त्यजन प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में किया गया था। परिणामतः वादप्रश्न क्रमांक 01 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 02 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-03 ::—

12. वादी के अनुसार उसे इस तथ्य की जानकारी कि प्रतिवादीगण का उक्त विवादित भूमि में नाम दर्ज है दिनांक 27.11.13 को भी तथा दिनांक 28.11.13 को वादी ने विवादित भूमि के खतौनी की नकलें प्राप्त कीं, तब उसे इस तथ्य की जानकारी हुई और इस तथ्य के आधार पर उसने वाद प्रस्तुत किया। वादी ने प्रस्तुत वाद दिनांक 06.03.14 को प्रस्तुत किया है जो कि परिसीमा समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना प्रकट हो रहा है। परिणामतः वादी का वाद अवधि बाह्य नहीं है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 03 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-04 ::—

13. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया है। वादी ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि उसका विवादित भूमि पर कब्जा है जो कि उसने अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया है और इस आधार पर वादी ने कब्जा वापसी का कोई अनुतोष नहीं चाहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी का वाद प्रचलन योग्य है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.-05 ::—

14. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। एतद द्वारा आदेशित किया जाता है कि वादी ग्राम मनहारी तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 24 रकवा 2.006 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 25 रकवा 1.88 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 28 रकवा 0.679 हेक्टेयर कुल रकवा 2.873 हेक्टेयर के 1/4 भाग का स्वत्वाधिकारी है।

15. वाद का संपूर्ण व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(जफर इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर